

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Corporate Affairs
Notification

New Delhi, dated, the 15th September, 2015

G.S.R. ____ (E). - In exercise of the powers conferred by sections 73 and 76 read with sub-section (1) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Companies (Acceptance of Deposits) Second Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014 (hereinafter referred to as said rules), in rule 2, in sub-rule (1), in clause (c), for sub-clause (viii), the following shall be substituted, namely:-

“(viii) any amount received from a person who, at the time of the receipt of the amount, was a director of the company or a relative of the director of the private company:

Provided that the director of the company or relative of the director of the private company, as the case may be, from whom money is received, furnishes to the company at the time of giving the money, a declaration in writing to the effect that the amount is not being given out of funds acquired by him by

borrowing or accepting loans or deposits from others and the company shall disclose the details of money so accepted in the Board's report;".

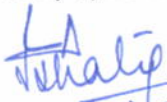
3. In the said rules, in rule 3, -

(a) for the words "paid-up share capital and free reserves", wherever they occur, the words "paid-up share capital, free reserves and securities premium account" shall be substituted;

(b) in sub-rule (8), in the Table, for item (e) and entries relating thereto the following shall be substituted, namely:-

"(e) Brickwork Ratings India Pvt Ltd (Brickwork)	BWR FBBB".
--	------------

[File No 1/8/2013-CL-V]


15/09/2015
Amardeep Singh Bhatia
Joint Secretary

Note. - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 256(E), dated the 31st March, 2014 and were subsequently modified *vide* number G.S.R. 386(E), dated the 6th June, 2014 and G.S.R. 241(E), dated the 31st March, 2015.

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख: 15 सितंबर, 2015

सा.का.नि. (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 73 और धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (जमा की स्वीकृति) द्वितीय संशोधन नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (ग) के उपखंड (viii) के लिए निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(viii) किसी व्यक्ति से प्राप्त कोई रकम, जो राशि प्राप्त करने के समय कंपनी का निदेशक था या प्राइवेट कंपनी के निदेशक का नातेदार था:

परंतु यथास्थिति कंपनी का निदेशक या प्राइवेट कंपनी के निदेशक का नातेदार, जिससे धन प्राप्त की गई है, वह धन देते समय कंपनी को लिखित में यह घोषणा करता है कि यह रकम अन्यो से उधार अथवा ऋण या निक्षेप स्वीकार करके उसके द्वारा प्राप्त निधि से नहीं दी जा रही है और कंपनी इस तरह स्वीकृत राशि का ब्यौरा बोर्ड की रिपोर्ट में प्रकट करेगी;”

3. उक्त नियमों के नियम 3 में,

(क) “समादत्त शेयर पूंजी और मुक्त आरक्षितियों” शब्दों, जहां-जहां वे आते हैं के स्थान पर “समादत्त शेयर पूंजी, मुक्त आरक्षित और प्रतिभूति प्रीमियम खाता” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप-नियम (8) की सारणी के मद (इ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(इ) ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लि. (ब्रिकवर्क)	बीडब्ल्यूआर एफबीबीबी”।
---	------------------------

[फा.सं. 1/8/2013-सीएल-V]

अमरदीप सिंह
15/09/15

(अमरदीप सिंह भाटिया)

संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम सा.का.नि. 256(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 386(अ) तारीख 06 जून, 2014 और सा.का.नि. 241(अ) तारीख 31 मार्च, 2015 द्वारा उपांतरित किए गए।